शीर्ष प्राथमिकता/आज ही/ईमेल
संख्या– 731 /आठ–7–2023

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/अध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण/
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 21 जुलाई, 2023**

विषय : उ0प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति द्वारा वांछित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उसके अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी अद्यतन स्थिति के अनुसार आरक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–समिति–02/आठ–5–2023–85विविध/2003 दिनांक 17.07.2023 **(छायाप्रति संलग्नकों सहित)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण कोटा पूरा करने संबंधी प्रश्नों के संबंध में बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने के साथ ही अपने कार्यालय के विभिन्न संवर्गों में अद्यतन स्थिति के अनुसार संलग्न प्रारूप में पृथक–पृथक समूहवार, पदनामवार आरक्षण विषयक आख्या, समूहवार पदों का योग एवं अन्त में महायोग करते हुए समस्त विवरण संलग्न टेबुलर फार्म में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों का विवरण, उन्हें न भरने के कारणों संबंधी आख्या, सीधी भर्ती के पदों में आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों एवं उन्हें न भरने के कारणों सहित आरक्षण आख्या शासन को 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 के उक्त पत्र दिनांक 17.07.2023 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार संलग्न प्रारूप पर सूचना आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 की ई–मेल आई.डी. पर M.S. Word Format में उपलब्ध कराते हुए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 को हार्ड कॉपी में **आज ही** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
21.7.2023
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

पत्र सं० ......731....../आठ-7-2023

समयबद्ध/अतिशीघ्र/ई-मेल

संख्या : समिति-02 /आठ-5-2023-85विविध/2003

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद्
उ0प्र0।

2-उपाध्यक्ष/अध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण/
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0।

4-निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण विभाग,
उ0प्र0।

5-सदस्य सचिव,
स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं,
पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन,
सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2023**

विषय : **उ0प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा वांछित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उसके अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी अद्यतन स्थिति अनुसार आरक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उप सचिव, समिति (सामान्य) अनुभाग-1 के अर्द्धशा0 प0सं0-427/03/(अ0जा0)/1991, दिनांक 13.07.2023 (प्रति संलग्न) का का संलग्नकों सहित कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभाग के नियंत्राणाधीन समस्त कार्यालयों (यदि कोई हो) का निर्धारित प्रारूप पर पृथक-पृथक समूहवार पदनामवार आरक्षण विषयक आख्या, समूहवार पदों का योग एवं अन्त में महायोग करते हुए समस्त विवरण संलग्न टेबुलर फार्म में दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों का विवरण, उन्हें न भरने के कारणों सम्बन्धी आख्या, सीधी भर्ती के पदों में आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों एवं उन्हें न भरने के कारणों सहित आरक्षण आख्या की 60 प्रतियां हिन्दी वर्जन (हार्ड कॉपी) एवं एक प्रति साफ्ट कॉपी (पी०डी०एफ०) में समिति के विचारार्थ दिनांक 25.07.2023 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समिति (सामान्य) अनुभाग-1 के उक्त पत्र दिनांक 13.07.2023 के साथ संलग्न अनुसूचित जातियों,, अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण कोटा पूरा करने सम्बन्धी प्रश्नों के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने के साथ ही अपने कार्यालय के विभिन्न संवर्गों में अद्यतन स्थिति के अनुसार संलग्न प्रारूप में पृथक-पृथक समूहवार, पदनामवार आरक्षण विषयक आख्या, समूहवार पदों का योग एवं अन्त में महायोग करते हुए समस्त विवरण संलग्न टेबुलर फार्म में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक

महत्वपूर्ण
प्रेषित
21/07/2023

Santosh Sir-Go-2023

आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों का विवरण, उन्हें न भरने के कारणों सम्बन्धी आख्या, सीधी भर्ती के पदों में आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों एवं उन्हें न भरने के कारणों सहित आरक्षण आख्या शासन को प्रत्येक दशा में 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण की अद्यावधिक स्थिति दिनांक 31.12.2022 की कट–ऑफ डेट के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध करायी जानी है। स्पष्ट किया जाता है कि संलग्न प्रोफार्मा में अंकित कॉलम 08 से 11 में विगत 10 वर्षों में सूचना देने की तिथि तक कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध कराई जानी है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्याः समिति-02 (1)/आठ–5–2023, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2, 4, 6 एवं 7 को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों को उक्त निर्देशानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु स्वस्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

12/1/23

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का विभिन्न विभागों/प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में आरक्षण कोटा पूरा करने सम्बन्धी बिन्दु।

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या विभाग/कार्यालय द्वारा टिप्पणी बैठक से 04 (चार) दिन पूर्व उपलब्ध करायी गयी है?	हॉं/नहीं
2.	कृपया विभाग/कार्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि का संक्षेप में वर्णन करें।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें। (पढ़ा हुआ माना जाये)
3.	विभाग/कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा प्रदर्शित करते हुए पदों का विवरण दें।	समिति के समक्ष विवरण प्रस्तुत करें।
4.	विभाग/कार्यालय में उक्त जातियों के लिए आरक्षण कब से लागू है? यदि नहीं, तो क्यों?	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
5.	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 जो 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ था, के लागू होने के पश्चात् अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आरक्षित वर्ग की रिक्तियों को भरे जाने हेतु विभाग द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलाया गया? यदि नही, तो क्यों? कृपया समूहवार एवं जनपदवार सूचना संलग्न करें।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
6.	वर्ष 1994 से विगत चयन वर्ष तक आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाकर कोटा पूरा करने का कितनी बार प्रयास किया गया, विवरण दें? यदि प्रयास नहीं किया गया तो कृपया कारण बतायें तथा इसके लिये क्या दोषी नियुक्ति प्राधिकारी के विरूद्ध पर्याप्त दण्डात्मक कार्यवाही की गयी? यदि हॉं, तो कया? यदि नहीं, तो क्यों?	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
7.	आरक्षण अधिनियम, 1994 लागू होने के पश्चात् से अब तक क्या विभाग/ कार्यालयों के सभी संवगों में भर्ती/प्रोन्नति (वर्ष 2012 तक) रोस्टर बनाकर उसके आधार पर भर्ती की जाती रही है? यदि हॉं, तो उसका विवरण दें। यदि नहीं, तो क्यों?	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
8.	उपर्युक्त आरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार क्या 11 दिसम्बर, 1993 के बाद विभाग में होने वाली प्रत्येक सीधी भर्ती के उपलब्ध/कार्यरत पदों/कार्मिकों का रोस्टर रजिस्टर बनाया गया है? और रोस्टर रजिस्टर बनाकर बनाकर विभाग/कार्यालयों के सभी पदों में रिक्तियों का निर्धारण कर आरक्षण कोटा पूरा किया जा रहा है? यदि हॉं, तो कृपया पदवार रोस्टर रजिस्टर/विवरण संलग्न करें।	समिति के समक्ष रोस्टर रजिस्टर सहित आख्या प्रस्तुत करें।

9.	प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त होने के पश्चात् विभागों/कार्यालयों द्वारा की गयी पदावनतियों तथा उनके विरूद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनों के नियमानुसार निस्तारण का समूहवार विवरण दिया जाय, यदि प्रत्यावेदन लम्बित है तो उनकी संख्या सहित लम्बित रहने का कारण स्पष्ट किया जाय।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
10.	विभाग के सभी कार्यालयों के सभी संवर्गों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर यदि सीधी भर्ती से चयन किया गया हो तो कृपया चयन वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विमुक्त जातियों के भर्ती किये गए अभ्यार्थियों की नाम सहित श्रेणीवार अलग-अलग संख्या एवं प्रतिशत।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
11.	(सम्बन्धित विभाग) विभाग/कार्यालय द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं विमुक्त जाति के उत्थान के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत विगत 05 वर्षों में लाभान्वित हुये लाभार्थियों का योजनावार एवं वर्षवार विवरण संलग्न करें।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
11.	मा0 सभापति की अनुमति से मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की आख्याएं।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर		विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण की अद्यावधिक स्थिति दिनांक............................तक
विभाग / कार्यालय आदि का नाम.......................

पदों का वर्गीकरण (श्रेणी)पदनाम सहित	कुल स्वीकृत पदों की संख्या (निदेशालय एवं जनपदवार कार्यालयों सहित)	अनुसूचित जाति के कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की		अनुसूचित जनजाति के कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की		सूचना देने की तिथि तक	विगत 10 वर्षों मे सूचना देने की तिथि तक				आरक्षण पूरा न होने का कारण अधियाचन भेजने की तिथि।
							कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	विमुक्त जाति	अभ्युक्ति
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	कुल रिक्तियाँ		प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' अलग–अलग पदनाम सहित											
योग											
समूह 'ख' अलग–अलग पदनाम सहित											
योग											
समूह 'ग' अलग–अलग पदनाम सहित											
योग											
समूह 'घ' अलग–अलग पदनाम सहित											
योग											
महायोग											

विभागाध्यक्ष–कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर एवं मुहर

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव के हस्ताक्षर
विभाग का नाम
(पदनाम मुहर सहित)

नोटः– 1. पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में सूचना नहीं देनी है।
2. प्रत्येक समूह के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक पद के लिये सूचना स्तम्भदार दी जाती है।
3. समूह 'घ' में स्वीपर्स के पदों को छोड़कर सूचना दी जानी हैं।